सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 82/2007 **दायर तारीख :–** 22.05.2007

1. रामसिंह
2. बोदूराम
3. रामजीलाल
} पुत्रान भैरू
4. श्रवणी देवी पत्नि भैरू (फौत)
   4/1. रूड़ी देवी पुत्री भैरू
5. गुरमा पत्नि जुगल किशोर

समस्त वादीगण जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर(राज0) **—— वादीगण**

बनाम

1. भंवरा पुत्र महोदव (फौत)
   1/1. जयराम
   1/2. अमर सिंह
   } पुत्रान भंवरा
   1/3. जीतू पुत्र चिरंजीलाल नाबालिग जरिये चाचा जयराम
   } समस्त जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर
   1/4. भगवती पुत्री भंवरा पत्नि गिरीराज
   1/5. गीता पुत्री भंवरा पत्नि भीमसिंह
   1/6. नर्बदा पुत्री भंवरा पत्नि कल्याण
   1/7. लिछमा पुत्री भंवरा पत्नि लक्ष्मण
   } जाति मीणा नवासी श्यामगंगा मालखेडा वाया मालखेडा जिला अलवर
   1/8. छोटी पुत्री भंवरा पत्नि कालूराम
   1/9. धरमा पुत्री भंवरा पत्नि राकेश
   } जाति मीणा निवासी रामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर
2. रामकरण पिता महादेव
3. प्रभाती पत्नि हनुमान
4. बनवारी
5. सुरेश
6. मोहन
7. महेन्द्र
} पुत्रान हनुमान
8. रूकमा पत्नि सीताराम
9. ख्यालीराम
10. श्रवण
11. केशर सिंह
} पुत्रान सीताराम
12. रामस्वरूप

} जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16. हरिनारायण पुत्र छोटू (फौत)
16/1. मामली देवी पत्नि हरिनारायण
16/2. संजू
16/3. उषा } पुत्रीयान हरिनारायण
16/4. सीमा
16/5. अरविन्द
16/6. पवन } पुत्रान हरिनारायण

} जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर

17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0
18. उपपंजीयक उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी हक, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री आनंद सिंह शेखावत अधिवक्ता वादीगण
श्री महेश मुदगल, अधिवक्ता प्रतिवादी सं॰ 8 लगा. 16
श्री गुरूशरण गौतम, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 3 लगा. 7
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 व 2
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 25.09.2019

1. वादीगण ने वादपत्र संख्या 82/2007 पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम मैड के साबिक खसरा नंबर 696, 699/1, 699/2, 701/1, 701/2, 700, 713/1, 713/2, 713/3, 713/4, 714, 715, 717/1, 717/2, 717/3, 871, 718/2, 874, 878, 718/1/1, 718/1/2, 718/1/3 हैक्टेयर कुल 39 बीघा 14 बिस्वा में हिस्सा 1/3 की घोषणा तो करा ली लेकिन साबिक खसरा नंबर 669/1 रकबा 3 बीघा 3 बिसवा, खसरा नंबर 669/2, रकब 3 बीघा 2 बिसवा किता 2 रकबा 6 बीघा 5 बिसवा भूमि जिसकी खातेदारी छोटू पुत्र लादू के नाम दर्ज रिकॉर्ड है में अपने हिस्से की घोषणा नहीं कर सका जबकि मोके पर इस जमीन की काश्त भी संयुक्त रूप से ही करते आ रहे है। जिसके हाल खसरा नंबर 1217/0.81, 1219/0.63 कुल किता 2 रकबा 1.44 हैक्टेयर वाके ग्राम श्यामपुरा बने है जिसका पुराना राजस्व ग्राम मैड ही है। वाके ग्राम श्यामपुरा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या 32 के तहत खसरा नंबर 1066, 1067, 1073, 1074, 1075, 1077 लगायत 1084, 1098 लगायत 1101, 1108 लगायत 1123, 1126 कुल किता 34 कुल रकबा 8.88 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 16 का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है। एवं वाके ग्राम पालडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नंबर 2778, 2779, 2780, 2789, 2790 कुल किता 5 रकबा 0.81 हैक्टेयर में हिस्सा 1/3 वादीगण, हिस्सा 1/3 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 एवं हिस्सा 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 16 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2060–2063 है। यह है कि वाके ग्राम पालडी के हाल खसरा नंबर 467/0.03 हैक्टेयर भूमि में चाह बनी हुई है। जिसकी खातेदारी हिस्सा 1/2 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 के बुजुर्ग महादेव, छोटू पिता लादू के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, जिसमें भी वादीगण तीसरे हिस्से के हिस्सेदार है। तथा ग्राम श्यामपुरा के खसरा नंबर 1076 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि में भी चाह बनी हुई है, जिसकी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुर्ग लादू पुत्र गोदा के नाम दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। जिसके वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 उत्तराधिकारी है। एवं खसरा नंबर 1217, 1219 की खातेदारी भूमि भी प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 16 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, लेकिन यह भूमि भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसकी काश्त भी लादू के जीवन काल से ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पिता शामिल काश्त करते आए थे जिन्होने इस भूमि सहित शेष सम्पूर्ण भूमि को मिलाकर बाहमी बंटवारा कर रखा है। और अब भूमि का मौके पर बंटवारा कर अलग–अलग काश्त कर रहे है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 के पूर्वजों में हुए बाहमी बंटवारा के मुताबिक वादीगण के हक एवं हिस्से में वाके ग्राम श्यामपुरा के हाल खसरा नंबर 1073/0.18, 1077/0.48, 1081/0.12, 1100/0.29, 1115/0.90, 1123/0.31 कुल किता 6 रकबा 2.28 हैक्टेयर भूमि तथा वाके ग्राम मैड के खसरा नंबर 2779/0.13, 2780/0.02, 2789/0.12, 2790/0.39 कुल किता 4 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर भूमि तथा ग्राम पालडी के खसरा नंबर 484/0.33, 487/0.46 कुल किता 2 रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि एवं ग्राम श्यामपुरा के खसरा नंबर 1217/0.81 हैक्टेयर अर्थात 4.54 हैक्टेयर भूमि वादीगण के हिस्से में आई। जबकि चाह को छोडकर कुल भूमि 13.93 का हिस्सा 1/3 की भूमि 4.64 हैक्टेयर बनती है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के हिस्से में वाके ग्राम श्यामपुरा के हाल खसरा नंबर 1066/0.23, 1067/0.23, [illegible]08, 1075/0.09, 1082/0.09, 1098/0.41, 1099/0.26, 1111/0.23, 11[illegible]/0.26, 1113/0.30, 1114/0.40, 1120/0.33 कुल किता 12 कुल रकबा 2.91 हैक्टेयर भूमि एवं ग्राम मैड के खसरा नंबर 2778/0.15 हैक्टेयर भूमि एवं वाके ग्राम पालडी के खसरा नंबर 488/0.30, 485/0.35, 486/0.17, कुल किता 3 कुल रकबा 0.82 हैक्टेयर एवं वाके ग्राम श्यामपुरा के खसरा नंबर 1219/0.63 हैक्टेयर अर्थात कुल 4.51 हैक्टेयर भूमि चाह को छोडकर आई हुई है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 16 के हिस्से में वाके ग्राम श्यामपुरा के खसरा नंबर 1078/0.33, 1079/0.10, 1080/0.10, 1083/0.13, 1084/0.22, 1101/0.17, 1108/0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

483/0.44, 489/0.16 कुल किता 5 रकबा 1.19 हैक्टेयर भूमि चाह को छोडकर आई हुई हैं एवं खसरा नंबर 1110/0.06 हैक्टेयर भूमि किस्म बजंड वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खेतों में आने जाने के रास्ते के रूप में संयुक्त रूप से काम में आ रही है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 वर्णित खसरा नंबरों के मुताबिक पृथम–पृथक रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु हाल खसरा नंबर 1219, 1217 की खातेदारी प्रतिादीगण संख्या 1 लगायत वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्सानुसार आराजी मुतनाजा पर काबिज काश्त है, परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। वादीगण ने अपने बंटवारे में प्राप्त भूमि को कड़ी मेहनत करके ऊपजाउ बनाया है प्रतिवादीगण, वादीगण की बाहमी बंटवारे में प्राप्त भूमि को हड़पने की नियत रखता है जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम श्यामपुरा के खसरा नंबर 1217, 1219 व 1076 के 1/3 भाग का तथा ग्राम पालडी के खसरा नंबर 467 में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 के 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं ग्राम श्यामपुरा के हाल खसरा नंबर 1073/0.18, 1077/0.48, 1081/0.12, 1100/0.29, 1115/0.90, 1123/0.31, 1066/0.23, 1067/0.23, 1074/0.08, 1075/0.09, 1082/0.09, 1098/0.41, 1099/0.26, 1111/0.23, 1112/0.26, 1113/0.30, 1114/0.40, 1120/0.33, 1217/0.81, 1219/0.63, 1078/0.33, 1079/0.10, 1080/0.10, 1083/0.13, 1084/0.22, 1101/0.17, 1108/0.01, 1109/0.60, 1116/0.23, 1117/0.18, 1118/0.42, 1119/0.35, 1121/0.13, 1122/0.10, 1126/0.56 हैक्टेयर भूमि एवं ग्राम मैड के खसरा नंबर 2779/0.13, 2780/0.02, 2789/0.12, 2790/0.39, 2778/0.15 एवं ग्राम पालडी के खसरा नंबर 484/0.33, 487/0.46, 488/0.30, 485/0.35, 486/0.17, 480/0.14, 481/0.16, 482/0.29, 483/0.44, 489/0.16 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर आराजी व लगान बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी [illegible] किसी भी प्रकार की दखल नहीं करें एवं साथ ही खसरा नंबर 1110/0.06 है[illegible] भूमि से होकर खेतों में जाने वाले कृषि उपकरण में बाधा कारित नहीं [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 एवं प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 16 जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सम्यक तामील हुई है तथा बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. प्रतिवादी गण रामस्वरूप वगैरह की तरफ से दिनांक 18.07.2007 को एक दावा

उभयपक्षों की सुनवाई कर दिनांक 16.02.2012 को दावा रामसिंह वगै0 बनाम भंवरा वगै0 मुकदमा नंबर 82/2007 के साथ हमकिता किया गया। तथा दोनों वाद पत्रों को एक साथ सुनवाई हेतु कन्सोलिडेट तनकी दिनांक 22.03.2012 को कायम की गई एवं इस संबंध में तनकी संख्या 4 पृथक से कन्सोलिडेट वाद के संबंध में बनाई गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

4. वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 32 संवत् 2061–2064, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 197 संवत् 2061–2064, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 33 संवत् 2061–2064, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 37 संवत् 2060–2063, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 223 संवत् 2066–2065, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 90 संवत् 2060–2063, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 178 संवत् 2061–2064, मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम मैड, श्यामपुरा, पालडी, आदि पेश किये।

5. प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 की तरफ जरिये अधिवक्त गुरूशरण गौतम के इकबाले जवाब पेश किया गया, जिसमें वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाने पर उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

6. प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 16 का जवाब रहा कि हाल खसरा नंबर 1217, 1219 के रकबे को छोडकर शेष भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 16 के बुजर्गो में हुए आपसी बटवारे के मुताबिक ग्राम श्यामपुरा के हाल खसरा नंबर 1073/0.18, 1077/0.48, 1081/0.12, 1100/0.29, 1115/0.90, 1123/0.31 कुल किता 6 रकबा 2.28 हैक्टेयर एवं ग्राम मैड के खसरा नंबर 2779/0.13, 2780/0.02, 2789/0.12, 2790/0.39 कुल किता 4 रकबा 0.66 हैक्टेयर एवं ग्राम पालडी में खसरा नंबर 484/0.33, 487/0.46 कुल किता 2 रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि ही वादीगण के हिस्से में आई थी। ग्राम श्यामपुरा के खसरा नंबर 1217/0.81 हैक्टेयर भूमि वादीगण के हिस्से में नहीं आई थी। इस प्रकार वादीगण के हिस्से में कुल 3.73 हैक्टेयर भूमि ही आती है। कुल भूमि 13.93 हैक्टयर नहीं होकर 12.49 हैक्टेयर ही थी। चाह को छोडने के बाद कुल भूमि 13.93 का हिस्सा 1/3 भूमि 4.64 हैक्टेयर भूमि बनना गलत है। अपितु वादीगण के हिस्से में 4.54 हैक्टेयर भूमि नहीं होकर कुल भूमि 12.49 हैक्टेयर का 1/3 हिस्सा यानि 4.16 हैक्टेयर भूमि [illegible] आती है।जबकि वादीगण के द्वारा ग्राम श्यामपुरा के खसरा नंबर 1217/0.81 को अपने हिस्से में जोडकर कुल भूमि 4.54 हैक्टेयर बना रखी है। बल्कि वादीगण के हिस्से में खसरा नबर 1217 की भूमि नहीं आकर कुल भूमि 3.73 हैक्टेयर ही है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के हिस्से में ग्राम श्यामपुरा के हाल खसरा नंबर 1066/0.23, 1067/0.23, 1074/0.08, 1075/0.09, 1082/0.09, 1098/0.41, 1099/0.26, 1111/0.23, 1112/0.26, 1113/0.30, 1114/0. 40, 1120/0.33 कुल किता 12 कुल रकबा 2.91 हैक्टेयर भूमि एवं ग्राम मैड के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के हिस्से में नहीं आती है। अर्थात कुल 3.88 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 में हिस्से में आती है। एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 16 के हिस्से में ग्राम श्यामपुरा के खसरा नंबर 1078/0.33, 1079/0.10, 1080/0.10, 1083/0.13, 1084/0.22, 1101/0.17, 1108/0.01, 1109/0.60, 1116/0.23, 1117/0.18, 1118/0.42, 1119/0.35, 1121/0.13, 1122/0.10, 1126/0.56 कुल किता 15 रकबा 3.63 हैक्टेयर भूमि एवं वाके ग्राम पालडी के खसरा नंबर 480/0.14, 481/0.16, 482/0.29, 483/0.44, 489/0.16 कुल किता 5 रकबा 1.19 हैक्टेयर भूमि चाह को छोडकर आई हुई हैं एवं खसरा नंबर 1110/0.06 हैक्टेयर भूमि किस्म बजंड वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खेतों में आने जाने के रास्ते के रूप में संयुक्त रूप से काम में नहीं आकर प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 16 के हिस्से में आई हुई हैं। एवं जवाब में यह यह स्पष्ट किया गया है। कि ग्राम श्यामपुरा के खसरा नंबर 1217/0.81 एवं 1219/0.63 बंटवारे में शामिल नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 16 के नाम से पृथक कब्जे काश्त में है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की हिस्सेदारी नहीं है। प्रतिवादी संख्या 8 लगायम 16 के विशेष कथन रहे कि खसरा नंबर 952/0.26, 983/0.27, 954/0.03, 954/1320/0.02 किता 4 रकबा 0.58 हैक्टेयर भूमि पूर्व में भंवर, हनुमान पुत्रान महादेव व लादू कौम मीणा के नाम खातेदारी रही हे। जिसमें प्रतिवादीगण के पिता छोटू का भी हिस्सा 1/3 था जो भूमि भंवरा हनुमान के फौत होने के बाद बनवारी सुरेश मोहन महेन्द्र पुत्रान हनुमान व उसकी पत्नि के नाम दर्ज खातेदारी में व भंवरा की फौत होने के बाद जयराम, अमरसिंह पिता भंवरा, जीतू पुत्र चिरंजीलाल, भगवती पुत्री भंवर, गीता, नर्बदा, लिछमा पुत्री मीणा, छोटी, धरमा पुत्री भंवरा के नाम दर्ज होगी को बंटवारा में अंकित नहीं किया गया। एवं खसरा नंबर 2774/0.38, 2774/5736/0.37 हैक्टेयर भमि सुशीला पत्नि धूणीलाल जाति मीणा को हनुमान पुत्र महादेव ने बिना बंटवारा कराये अपने हिस्सा खातेदारी का गलत विक्रय कर दिया है। तथा खसरा नंबर 2799/0.54 हैक्टेयर भूमि भी दावे में कुल 1.49 हैक्टेयर भूमि जानबूझकर दर्ज नहीं की गई। प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 16 का निवेदन रहा कि वादीगण का दावा मय खर्चा घोषणा खातेदारी व बंटवारे बाबत खसरा नंबर 1217/0.81 एवं 1219/0.63 कुल रकबा 1.44 हैक्टेयर ग्राम श्यामपुरा मय खर्चे खारिज किया जावे एवं शामलाती खातेदारी में खसरा नंबर 1217/0.81 एवं 1219/0.63 को हटाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य कब्जा मौका रिपोर्ट के आधार पर बंटवारा करवाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में तनकीयात विवेचित की गई जो बिन्दुवार निम्नानुसार है–

(1). आया वादपत्र की खण्ड संख्या 2 में वर्णित अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही कुटम्ब के व्यक्ति है। वादीगण का दावा हरन्दा के जल्दी

(2). आया वादीगण के पिता ने रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की कार्यवाही की थी, जिससे खण्ड संख्या 3 व 4 में वर्णित अनुसार 1/3 का हिस्सेदार बनाया गया परन्तु साबिक खसरा नंबर 669/1, 699/2 जिसके हाल खसरा नंबर 1217, 1219 बने है। जिसकी खातेदारी छोटू पुत्र लादू के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी, का रिकॉर्ड दुरूस्त कराने से छूट गई जबकि उक्त भूमि भी संयुक्त रूप से काश्त करते थे, जिससे वादीगण हिस्सा 1/3 की खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। **—जिम्मेवादी**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(3). आया खण्ड संख्या 6 व 7 वादपत्र में वर्णित भूमि सहित सम्पूर्ण भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि है। उक्त भूमि सहित सारी भूमि को मिलाकर पारिवारिक बंटवारा वर्णित खण्ड संख्या 8 वादपत्र कर रखा है। एवं इसी अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। एवं बंटवारा कराने के अधकारी है। **—जिम्मेवादी**

(4). आया हाल खसरा नंबर 1217, 1219 वाके ग्राम श्यामपुरा से वादीगण का कभी कोई संबंध नहीं रहा है।, जिससे उक्त भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के वादीगण अधिकारी नहीं है। **—जिम्मेवादी**

8. तनकी संख्या 1 व 2 का संबंध एक–दूसरे से है व तनकी संख्या 3 भी तनकी संख्या 1 व 2 से संबंधित है। ऐसी स्थिती में तनकी संख्या 1, 2 व 3 का निस्तारण अलग–अलग नहीं कर, एक साथ किया जाना उचित है।
9. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
10. तनकी संख्या 1, 2 व 3 को साबित करने के लिए वादीगण की तरफ से गवाह पी.डब्लू. 1 रामसिंह वादी स्वयं व गवाह पी.डब्लू. 2 रामचन्द्र व पी.डब्लू. 3 उमराव पेश हुए । वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य ग्रम श्यामपुरा की नकल जमाबंदी खाता संख्या 32 संवत् 2061–64 **प्रदर्श–1**, नकल जमाबंदी खाता संख्या 197 संवत् 2061–64 **प्रदर्श–2**, नकल जमांबदी खाता संख्या 33 संवत 2031–64 **प्रदर्श–3**, नकल जमाबंदी ग्राम पालडी खाता संख्या 37 संवत् 2060–63 **प्रदर्श–4**, नकल जमाबंदी वाके ग्राम मैड खाता संख्या 223 संवत् 2062–65 **प्रदर्श–5**, नकल जमाबंदी वाके ग्राम पालडी खाता संख्या 90 संवत् 2060–63 **प्रदर्श–6**, नकल मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम पालडी **प्रदर्श–7**, नकल जमाबंदी संवत् 2020–25 खाता संख्या **प्रदर्श–8**, नकल नामान्तकरण संख्या 489 वाके ग्राम मैड साबिक खसरा नंबर 696 पगै0 **प्रदर्श–9**, नकल हाल नक्शा वाके ग्राम श्यामपुरा **प्रदर्श–10**, नकल नक्शा वाके ग्राम पालडी **प्रदर्श–11**, नकल नक्शा वाके ग्राम मैड **प्रदर्श–12**, नकल मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम श्यामपुरा **प्रदर्श–13**, नकल जमाबंदी ग्राम मैड खाता संख्या 195/194 संवत् 2028–31 **प्रदर्श–14**, नकल खसरा गिरदावरी वाके ग्राम मैड संवत् 2009–12 (1 से 3 पृष्ठ), संवत् 2013–16 (पृष्ठ 4 से 6) संवत् 2017–20 (पृष्ठ 7 से 9), संवत 2029–32(पृष्ठ संख्या 10 से 12) **प्रदर्श–15** आदि पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

संवत् 2061–64 **प्रदर्श–ए–1**, नकल मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम श्यामपुरा **प्रदर्श–ए–2**, नकल जमाबंदी संवत् 2028–32 **प्रदर्श–ए–3** आदि पेश किए।

12. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम मैड के साबिक खसरा नंबर 696, 699/1, 699/2, 701/1, 701/2, 700, 713/1, 713/2, 713/3, 713/4, 714, 715, 717/1, 717/2, 717/3, 871, 718/2, 874, 878, 718/1/1, 718/1/2, 718/1/3 हैक्टेयर कुल 39 बीघा 14 बिस्वा में हिस्सा 1/3 की घोषणा तो करा ली लेकिन साबिक खसरा नंबर 669/1 रकबा 3 बीघा 3 बिसवा, खसरा नंबर 669/2, 3 बीघा 2 बिस्वा किता 2 रकबा 6 बीघा 5 बिसवा भूमि जिसकी खातेदारी छोटू पुत्र लादू के नाम दर्ज रिकॉर्ड है में अपने हिस्से की घोषणा नहीं कर सका जबकि मोके पर इस जमीन की काश्त भी संयुक्त रूप से ही करते आ रहे है। जिसके हाल खसरा नंबर 1217/0.81, 1219/0.63 कुल किता 2 रकबा 1.44 हैक्टेयर वाके ग्राम श्यामपुरा बने है जिसका पुराना राजस्व ग्राम मैड ही है। वाके ग्राम श्यामपुरा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या 32 के तहत खसरा नंबर 1066, 1067, 1073, 1074, 1075, 1077 लगायत 1084, 1098 लगायत 1101, 1108 लगायत 1123, 1126 कुल किता 34 कुल रकबा 8.88 हैक्टेयर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 16 का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है। एवं वाके ग्राम पालडी के खाता संख्या 37 के खसरा नंबर 480 लगायत 489 कुल किता 10 कुल रकबा 2.80 हेक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा वादीगण एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 16 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम मैड के खाता संख्या 223 में खसरा नंबर 2778, 2779, 2780, 2789, 2790 कुल किता 5 रकबा 0.81 हैक्टेयर में हिस्सा 1/3 वादीगण, हिस्सा 1/3 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 एवं हिस्सा 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 16 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2060–2063 है। यह है कि वाके ग्राम पालडी के हाल खसरा [illegible]67/0.03 हैक्टेयर भूमि में चाह बनी हुई है। जिसकी खातेदारी हिस्सा 1/2 [illegible] वादीगण संख्या 1 लगायत 16 के बुजुर्ग महादेव, छोटू पिता लादू के नाम रिकॉर्ड है, जिसमें भी वादीगण तीसरे हिस्से के हिस्सेदार है। एवं खसरा [illegible] 1076 रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम श्यामपुरा में भी चाह बनी हुई है, जिसकी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुर्ग लादू पुत्र गोदा के नाम दर्ज रिकॉर्ड चली आ रही है। जिसके वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 उत्तराधिकारी है। एवं खसरा नंबर 1217, 1219 की खातेदारी भूमि भी प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 16 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, लेकिन यह भूमि भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

रखा है। और अब भूमि का मौके पर बंटवारा कर अलग–अलग काश्त कर रहे है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 16 के पूर्वजों में हुए बाहमी बंटवारा के मुताबिक वादीगण के हक एवं हिस्से में वाके ग्राम श्यामपुरा के हाल खसरा नंबर 1073/0.18, 1077/0.48, 1081/0.12, 1100/0.29, 1115/0.90, 1123/0.31 कुल किता 6 रकबा 2.28 हैक्टेयर भूमि तथा वाके ग्राम मैड के खसरा नंबर 2779/0.13, 2780/0.02, 2789/0.12, 2790/0.39 कुल किता 4 कुल रकबा 0.66 हैक्टेयर भूमि तथा ग्राम पालडी के खसरा नंबर 484/0.33, 487/0.46 कुल किता 2 रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि एवं वाके ग्राम श्यामपुरा के खसरा नंबर 1217/0.81 हैक्टेयर अर्थात 4.54 हैक्टेयर भूमि वादीगण के हिस्से में आई। जबकि चाह को छोडकर कुल भूमि 13.93 का हिस्सा 1/3 की भूमि 4.64 हैक्टेयर बनती है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के हिस्से में वाके ग्राम श्यामपुरा के हाल खसरा नंबर 1066/0.23, 1067/0.23, 1074/0.08, 1075/0.09, 1082/0.09, 1098/0.41, 1099/0.26, 1111/0.23, 1112/0.26, 1113/0.30, 1114/0.40, 1120/0.33 कुल किता 12 कुल रकबा 2.91 हैक्टेयर भूमि एवं ग्राम मैड के खसरा नंबर 2778/0.15 हैक्टेयर भूमि एवं वाके ग्राम पालडी के खसरा नंबर 488/0.30, 485/0.35, 486/0.17, कुल किता 3 कुल रकबा 0.82 हैक्टेयर एवं वाके ग्राम श्यामपुरा के खसरा नंबर 1219/0.63 हैक्टेयर कुल 4.51 हैक्टेयर भूमि चाही को छोडकर आई हुई है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 16 के हिस्से में वाके ग्राम श्यामपुरा के खसरा नंबर 1078/0.33, 1079/0.10, 1080/0.10, 1083/0.13, 1084/0.22, 1101/0.17, 1108/0.01, 1109/0.60, 1116/0.23, 1117/0.18, 1118/0.42, 1119/0.35, 1121/0.13, 1122/0.10, 1126/0.56 कुल किता 15 रकबा 3.63 हैक्टेयर भूमि एवं वाके ग्राम पालडी के खसरा नंबर 480/0.14, 481/0.16, 482/0.29, 483/0.44, 489/0.16 कुल किता 5 रकबा 1.19 हैक्टेयर भूमि चाह को छोडकर आई हुई हैं एवं खसरा नंबर 1110/0.06 हैक्टेयर भूमि किस्म बजंड वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खेतों में आने जाने के रास्ते के रूप में संयुक्त रूप से काम में आ रही है। प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ मौखिक साक्ष्य में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के बुजुर्ग महोदव व छोटू पिता लादू के भाई हरनन्दा का वरवक्त लागू होने टीनेन्सी एक्ट से पूर्व ही फौत हो जाने व उनके पुत्र भैरू का प्रतिवादीगण के बुजुर्गो के साथ संयुक्त परिवार के रूप में रहने से वादग्रस्त भूमि का संयुक्त परिवार की भूमि होने से 1/3 हिस्से के हिस्सेदार होने की बात कही। मौखिक साक्ष्य प्रतिवादीगण में प्रतिवादी संख्या 1 रामस्वरूप ने जिरह में हरनन्दा का दादाजी से पहले फौत होना, भैरू को अपने ताऊ का लडका होने एवं उम्र में उनसे 8 साल बडा होने व अपना जन्म तिथि 02.04.1949 होना बताया है, जिससे वरवक्त लागू होने टीनेन्सी एक्ट भैरू का नाबालिग होना साबित होता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य होने से संयुक्त परिवार की सम्पति होना साबित होता है। खसरा गिरदावरियों का अवलोकन करने से साबिक खसरा नंबर 669 संवत् 2009 महादेव की नाम काश्त दर्ज है। संवत् 2015 में वादीगण के पिता भैरू पुत्र हरनन्दा के नाम काश्त दर्ज है। संवत् 2017 में भी भैरू पुत्र हरनन्दा के नाम काश्त दर्ज है। एवं संवत् 2032 में भी भेरू पुत्र हरनन्दा के नाम काश्त दर्ज है। जिससे वादीगण के वाद की पृष्टि होती है। वादीगण के तरफ से अनरिपॉर्टटेड राजस्व मण्डल का निर्णय बउनवान छीतर बनाम अर्जुन मुकदमा नंबर 69/93, दिनांक 23.04.1997 पेश किया, जिसमे राजस्व मण्डल ने परिवार के बडे सदस्य के नाम संवत 2012 में खातेदारी दर्ज होने एवं परिवार के अन्य सदस्य नाबालिग होने के स्थिती में परिवार के बडों को पहले से काश्त करते आना के आधार पर वाद ग्रस्त भूमि को परिवार के सदस्यों की संयुक्त परिवारों के सदस्यों की संपति मानते हुए परिवार के नाबालिग सदस्यों का हिस्सेदारी मानी है। उक्त प्रकरण में राजस्व मण्डल ने यह भी माना है कि संवत् 2012 में हांलाकि परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज नहीं थे, परन्तु नाबालिग सदस्य संयुक्त परिवार के सदस्य होने से भूमि संयुक्त परिवार की संपति रही है। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों का अवलोकन करने पर उक्त नजीर भलीभांति चस्पा होती है, जिससे प्रस्तुत प्रकरण के वादीगण के पिता का बरवक्त साबिक सैटलमेन्ट व लागू होने टीनेन्सी एक्ट नाबालिग होना सिद्व होता है। ऐसी स्थिति में वादीगण हाल खसरा नंबर 1217/0.81, 1219/0.63 कुल किता 2 कुल रकबा 1.44 हैक्टयर भूमि वाके ग्राम श्यामपुरा के हिस्से 1/3 के खातेदार घोषित किए जाने योग्य है। एवं हाल खसरा नंबर 1076/0.04 गैरमुमकिन चाह वादीगण व प्रतिवादीगण के बुजुर्ग की खातेदारी में दर्ज है, जिसके भी वादीगण व प्रतिवादीगण महादेव व छोटू के वारिसान 1/3–1/3 के हिस्सेदार है। और खसरा नंबर 467/0.03 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम पालडी में बनी चाह के हिस्सा 1/2 में भी महोदव , छोटू पिता लादू का हिस्सा 1/2 में वादीगण का हिस्सा 1/3 बनता है। इस प्रकार वादीगण तनकी संख्या 1 व 2 को अपने पक्ष में बखूबी साबित किया है। अतः तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जा[illegible]तनकी संख्या 3 जो की तनकी संख्या 1 व 2 से संबंधित है। अतः तनकी [illegible] 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाने से वादी[illegible] तनकी संख्या 3 भी निर्णित की जाती है। तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था । प्रतिवादीगण ने वाद ग्रसत आराजी खसरा नंबर 1217 व 1219 जागीर के समय उनके पिता छोटू पुत्र लादू अकेले के पास किस तरह से आई थी, के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। न ही किसी जागीरदार का अपने समर्थन में बयान करवाया। ऐसी स्थिति में जबकि तनकी संख्या 1 व 2 को निर्णित करते समय उक्त भूमि को परिवार की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि माना गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:26 IST
Reason: SelfAttested

का वाद पत्र की खण्ड संख्या 8 में वर्णित अनुसार बाहमी बंटवारा होना जवाब दावे की खण्ड संख्या 8 में स्वीकार किया है, परन्तु वादीगण के हिस्से कम भूमि आने के संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। जिससे वाद ग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा होना जाहिर होता है। वाद ग्रस्त भूमि को शामिल किए बिना वादीगण का हिस्सा भी पूर्ण नहीं होता है। उक्त तमाम तथ्यों से प्रतिवादीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि वाद ग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1217 व 1219 के स्वंय अकेले मालिक रहे हो। अतः तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व व वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy-Not Official

13. वाद पत्र में दौरान—ए—बहस वकील प्रतिवादीगण ने इस बात पर जोर दिया कि एडवर्स पजेशन के आधार पर किसी को खातेदार अधिकार नहीं दिये जा सकते है, इस संबंध में राजस्व मण्डल अजमेर के कई निर्णय भी पेश किए गए जिनका ससम्मान अवलोकन किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी की बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया कि उनका दावा एडवर्स पजेशन के आधाार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का नहीं होकर परिवार की संयुक्त भूमि में नाम जोडने से रह जाने के कारण नाम जुडवाने का है। वादी गण ने खसरा नंबर 1217 व 1219 में 1/3 की हिस्सेदारी दर्ज करने के बाद इन नंबरों को मिलाकर बंटवारे का वाद भी है, ऐसी स्थिति में इन नंबरों सहित कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक है।

14. वादीगण का वाद पत्र प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया। वादीगण रामसिंह वगैरह को खसरा नंबर 1217/0.81 व खसरा नंबर 1219/0.63 कुल किता 2 कुल रकबा 1.44 हैक्टेयर वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील विराटनगर के हिस्सा 1/3 का हिस्सेदार खातेदार घोषित किया जाता है। एवं वाद रामस्वरूप बनाम रामसिंह वगैरह वाद संख्या 119/2007 खारिज किया गया। वादपत्र रामसिंह बनाम भंवरा प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को खसरा नंबर 1217 एवं 1219 सहित वाद पत्र में वर्णित खसरा नंबरान के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 29.08.2019 प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति पेश की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा पेश आपत्ति पर वकील वादी ने उजरात पेश किए। कुर्रेजात के संबंध में जो आपत्ति पेश की गई है, जो उचित प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार की जाती है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

15. वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

वादीगण का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ग्राम पालडी में हिस्सेदार काश्तकार निम्नानुसार है–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	रामसिंह, बोदूराम, रामजीलाल पिता भैरू हिस्सा 18/25, गुरमा देवी पत्नि जुगलकिशोर हिस्सा 6/25 रूडी देवी पुत्री भैरूराम हिस्सा 1/25 जाति मीणा सा. देह खातेदार	484/0.33, 487/0.46, 483/0.14 हैक्टेयर
2	मामली पत्नि हरिनारायण, संजू, उषा, सीमा पुत्रियान हरिनारायण, अरविंद, पवन पिता हरिनारायण हिस्सा 1/12, रूकमा पत्नि सीताराम, ख्यालीराम, श्रवणलाल, केशरसिंह पिता सीताराम हिस्सा 1/12, रामस्वरूप नारूराम जगदीश प्रसाद कैलाश पिता छोटू हिस्सा 1/3, रामकरण पुत्र महादेव हिस्सा 1/6 प्रभाती देवी पत्नि स्व0 हनुमान बनवारी सुरेश मोहन महेन्द्र पिता हनुमान हिस्सा 1/6, जीतू पुत्र चिंरजीलाल हिस्सा 1/60, पुत्र मदन किस्तूरी पत्नि मदन हिस्सा 1/60, जयराम अमरचंद पिता भंवरा[illegible] हिस्सा 1/30, भगवती गीता [illegible] लिछमा मिसरी धरमा पुत्रियान भंवराराम हिस्सा 1/10 जाति मीणा सा. देह खातेदार	480/0.14, 481/0.16, 482/0.29, 483/1/0.30, 485/0.35, 486/0.17, 488/0.30, 489/0.16 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम श्यामपुरा में हिस्सेदार काश्तकार निम्नानुसार है–

	रामजीलाल पुत्र भैरू हिस्सा 6/25, गुरमा पत्नि जुगलकिशोर हिस्सा 6/25, रूडी देवी पुत्री भैरू हिस्सा 1/25 जाति मीणा सा. देह	1115/0.90, 1123/0.31, 1217/1/0.08, 1219/0.63 हैक्टेयर
2	जयराम पुत्र भंवरा हिस्सा 1/60, अमरचंद पुत्र भंवरा हिस्सा 1/60, जितेन्द्र पुत्र चिरंजी लाल हिस्सा 1/120, कस्तूरी देवी पत्नि मदन हिस्सा 1/120, सुभाष पुत्र मदन हिस्सा 1/120, श्रीमती गीता देवी पत्नि स्व0 चिरंजीलाल हिस्सा 1/120, भगवती पुत्री भंवरा हिस्सा 1/60, गीता पुत्री भंवरा हिस्सा 1/60, नर्बदी पुत्र भंवरा हिस्सा 1/60, लिछमा पुत्री भंवरा हिस्सा 1/60, मिश्री पुत्री भंवरा हिस्सा 1/60, धर्मा पुत्री भंवरा हिस्सा 1/60 बिलारहन रामकरण पुत्र महादेव हिस्सा 1/6 राहिन एस.बी.आई शाखा शाहपुरा मूर्तहीन, प्रभाती पत्नि स्व0 हनुमान हिस्सा 1/30, बनवारी पुत्र हनुमान हिस्सा 1/30, सुरेश पुत्र हनुमान हिस्सा 1/30, मोहन पुत्र हनुमान हिस्सा 1/30, महेन्द्र पुत्र हनुमान हिस्सा 1/30 बिलारहन, ख्यालीराम पुत्र सीताराम हिस्सा 1/56 राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा मैड, नारूराम पुत्र छोटू हिस्सा 1/14 राहिन बी.ओ.बी शाखा विरा[illegible] जगदीश प्रसाद पुत्र छोटू हिस्सा 1/14 राहिन एस0बी0आई0 शाखा शाहपुरा कैलाश पुत्र छोटू हिस्सा 1/14 राहिन आर.एम.जी.बी शाखा मैड, दूर्गा देवी पत्नि छोटू हिस्सा 1/14 रूकमा पत्नि स्व0 सीताराम हिस्सा 1/56, श्रवणलाल पुत्र सीताराम हिस्सा 1/56 केशरसिंह पुत्र सीताराम	1066/0.23, 1067/0.23, 1074/0.08, 1075/0.09, 1078/0.33, 1079/0.10, 1080/0.10, 1082/0.09, 1083/0.13, 1084/0.22, 1098/0.3946, 1099/0.26, 1101/0.17, 1108/0.01, 1109/0.60, 1111/0.23, 1112/0.26, 1113/0.30, 1114/0.40, 1116/0.23, 1117/0.18, 1118/0.42, 1119/0.35, 1120/0.33, 1121/0.13, 1122/0.10, 1126/0.56 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

	हरिनारायण हिस्सा 1/84, संजू पुत्री हरिनारायण हिस्सा 1/84, उषा पुत्री हरिनारायण हिस्सा 1/84, सीमा पुत्री हरिनारायण हिस्सा 1/84 , रामस्वरूप पुत्र छोटू हिस्सा 1/14 जाति मीणा सा. देह	
3	कैलाश पुत्र छोटू हिस्सा 1/2, राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा मैड, ख्यालीराम पुत्र सीताराम हिस्सा 1/84 राहिन आर.एम.जी.बी शाखा मैड जगदीश प्रसाद पुत्र छोटू हिस्सा 1/2 राहिन एस0बी0आई0 शाखा शाहपुरा नारूराम पुत्र छोटू हिस्सा 1/2 राहिन बी.ओ.बी शाखा विराटनगर, रामकरण पुत्र महादेव हिस्सा 1/9 राहिन एस0बी0आई शाखा शाहपुरा अमरचंद पुत्र भंवरा हिस्सा 1/90, केशर सिंह पुत्र सीताराम हिस्सा 1/84, कस्तूरी देवी पत्नि स्व. मदन हिस्सा 1/180, गीता देवी पत्नि स्व. चिरंजीलाल हिस्सा 1/180, गीता देवी पुत्र भंवरा हिस्सा 1/90, जयराम पुत्र भंवरा हिस्सा 1/90, जितेन्द्र पुत्र चिरंजीलाल हिस्सा 1/180, दूर्गा पत्नि छोटू हिस्सा 1/2, धर्मा पुत्री भंवरा हिस्सा 1/90, नर्बदी पुत्री भंवरा हिस्सा 1/90, प्रभाती पत्नि स्व हनुमान हिस्सा 1/45, बनवारी पुत्र हनुमान हिस्सा 1/45, बोदूराम पुत्र भैरू हिस्सा 2/25, भगवती देवी पुत्र भंवरा हिस्सा 1/90, महेन्द्र पुत्र हनुमान हिस्सा 1/45, मिश्री पुत्री भंवरा हिस्सा 1/90, मोहन पुत्र हनुमान हिस्सा 1/45, रूकमा पत्नि स्व सीताराम हिस्सा 1/84, रामजीलाल पुत्र भैरू हिस्सा 2/25 रामस्वरूप पुत्र छोटू	1081/1/0.0080, 1098/1/0.0154, 1110/0.0600 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

	1/84, रूडी देवी पुत्री भैरू हिस्सा 1/75, सुभाष पुत्र मदन हिस्सा 1/180, गुरमा पत्नि स्व. जुगलकिशोर हिस्सा 2/25, सुरेश पुत्र हनुमान हिस्सा 1/45, मामली देवी पत्नि स्व हरिनारायण हिस्सा 1/126, अरविंद पुत्र हरिनारायण हिस्सा 1/126, पवन पुत्र हरिनारायण हिस्सा 1/126, संजू पुत्री हरिनारायण हिस्सा 1/126, उषा पुत्री हरिनारायण हिस्सा 1/126, सीमा पुत्री हरिनारायण हिस्सा 1/126 जाति मीणा सा. देह	
4	कैलाश पुत्र छोटू हिस्सा 1/7 राहिन आर.एम.जी.बी शाखा मैड , जगदीश प्रसाद पुत्र छोटू हिस्सा 1/7 राहिन स्टेट बैंक शाखा ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा, नारूराम पुत्र छोटू हिस्सा 1/7 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा विराटनगर, केशर सिंह पुत्र सीताराम हिस्सा 1/28, ख्यालीराम पुत्र सीताराम हिस्सा 1/28, दुर्गा पत्नि स्व छोटू हिस्सा 1/7, रामस्वरूप पुत्र छोटू हिस्सा 1/7, रूकमा पत्नि स्व. सीताराम हिस्सा 1/28, श्रवणलाल पुत्र सीताराम हिस्सा 1/28, मामली देवी पत्नि स्व. हरिनारायण हिस्सा 1/42, अरविंद पुत्र हरिनारायण हिस्सा 1/42, पवन पुत्र हरिनारायण हिस्सा 1/42, संजू पुत्री हरिनारायण हिस्सा 1/42, उषा पुत्री हरिनारायण हिस्सा 1/42, सीमा पुत्री हरिनारायण हिस्सा 1/42 जाति मीणा सा. देह	1217/0.73 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम मैड में हिस्सेदार काश्तकार निम्नानुसार है–		
1	बोदूराम पुत्र भैरू हिस्सा 1/4, रामजीलाल	2779/0.13, 2780/0.02,

2	छोटू पुत्र लादू हिस्सा 1/2, भंवरा पुत्र महादेव हिस्सा 1/6, हनुमान पुत्र महादेव हिस्सा 1/6, रामकरण पुत्र महादेव हिस्सा 1/6 जाति मीणा सा. देह	2778/0.15 हैक्टैयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 25.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. रामसिंह
2. बोदूराम
3. रामजीलाल

} पुत्रान भैरू

4. श्रवणी देवी पत्नि भैरू (फौत)
   4/1. रूड़ी देवी पुत्री भैरू
5. गुरमा पत्नि जुगल किशोर

समस्त वादीगण जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर(राज0) **—— वादीगण**

बनाम

1. भंवरा पुत्र महोदव (फौत)
   1/1. जयराम
   1/2. अमर सिंह
   } पुत्रान भंवरा
   1/3. जीतू पुत्र चिरंजीलाल नाबालिग जरिये चाचा जयराम
   } समस्त जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तह0 विराटनगर जिला जयपुर
   1/4. भगवती पुत्री भंवरा पत्नि गिरीराज
   1/5. गीता पुत्री भंवरा पत्नि भीमसिंह
   1/6. नर्बदा पुत्री भंवरा पत्नि कल्याण
   1/7. लिछमा पुत्री भंवरा पत्नि लक्ष्मण
   } जाति मीणा निवासी श्यामगंगा मालखेडा वाया मालखेडा जिला अलवर
   1/8. छोटी पुत्री भंवरा पत्नि कालूराम
   1/9. धरमा पुत्री भंवरा पत्नि राकेश
   } जाति मीणा निवासी रामपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर
2. रामकरण पिता महादेव
3. प्रभाती पत्नि हनुमान
4. बनवारी
5. सुरेश
6. मोहन
7. महेन्द्र

} पुत्रान हनुमान

8. रूकमा पत्नि सीताराम
9. ख्यालीराम
10. श्रवण
11. केशर सिंह

} पुत्रान सीताराम

12. रामस्वरूप
13. नारूराम

} पुत्रान छोटू

} जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर

Web Copy Not Official
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

16. हरिनारायण पुत्र छोटू (फौत)
    16/1. मामली देवी पत्नि हरिनारायण
    16/2. संजू, 16/3. उषा, 16/4. सीमा — पुत्रीयान हरिनारायण
    16/5. अरविन्द, 16/6. पवन — पुत्रान हरिनारायण
    जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तह0 विराटनगर जिला जयपुर

17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

18. उपपंजीयक उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0

——प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 82/2007 **दावा बाबत बंटवारा खातेदारी हक, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री आनंद सिंह शेखावत** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री महेश चंद मुदगल एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 16 एवं श्री गुरूशरण दास गौतम प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम श्यामपुरा के खसरा नंबर 1217, 1219 व 1076 के 1/3 भाग का तथा ग्राम पालडी के खसरा नंबर 467 में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 के 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं ग्राम श्यामपुरा के हाल खसरा नंबर 1073/0.18, 1077/0.48, 1081/0.12, 1100/0.29, 1115/0.90, 1123/0.31, 1066/0.23, 1067/0.23, 1074/0.08, 1075/0.09, 1082/0.09, 1098/0.41, 1099/0.26, 1111/0.23, 1112/0.26, 1113/0.30, 1114/0.40, 1120/0.33, 1217/0.81, 1219/0.63, 1078/0.33, 1079/0.10, 1080/0.10, 1083/0.13, 1084/0.22, 1101/0.17, 1108/0.01, 1109/0.60, 1116/0.23, 1117/0.18, 1118/0.42, 1119/0.35, 1121/0.13, 1122/0.10, 1126/0.56 हैक्टेयर भूमि एवं ग्राम मैड के खसरा नंबर 2779/0.13, 2780/0.02, 2789/0.12, 2790/0.39, 2778/0.15 एवं ग्राम पालडी के खसरा नंबर 484/0.33, 487/0.46, 488/0.30, 485/0.35, 486/0.17, 480/0.14, 481/0.16, 482/0.29, 483/0.44, 489/0.10 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर [illegible] लगान बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जा काश्त में किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार की दखल नहीं करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

सुना गया। प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा [illegible] निर्णय एवं डिक्री का भाग

ग्राम पालडी में हिस्सेदार काश्तकार निम्नानुसार है–		
क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर / रकबा
1	रामसिंह, बोदूराम, रामजीलाल पिता भैरू हिस्सा 18/25, गुरमा देवी पत्नि जुगलकिशोर हिस्सा 6/25 रूडी देवी पुत्री भैरूराम हिस्सा 1/25 जाति मीणा सा. देह खातेदार	484/0.33, 487/0.46, 483/0.14 हैक्टेयर
2	मामली पत्नि हरिनारायण, संजू, उषा, सीमा पुत्रियान हरिनारायण, अरविंद, पवन पिता हरिनारायण हिस्सा 1/12, रूकमा पत्नि सीताराम, ख्यालीराम, श्रवणलाल, केशरसिंह पिता सीताराम हिस्सा 1/12, रामस्वरूप नारूराम जगदीश प्रसाद कैलाश पिता छोटू हिस्सा 1/3, रामकरण पुत्र महादेव हिस्सा 1/6 प्रभाती देवी पत्नि स्व0 हनुमान बनवारी सुरेश मोहन महेन्द्र पिता हनुमान हिस्सा 1/6, जीतू पुत्र चिंरजीलाल हिस्सा 1/60, सुभाष पुत्र मदन किस्तूरी पत्नि मदन हिस्सा 1/60, जयराम अमरचंद पिता भंवराराम हिस्सा 1/30, भगवती गीता नर्बदा लिछमा मिसरी धरमा पुत्रियान भंवराराम हिस्सा 1/10 जाति मीणा सा. देह खातेदार	480/0.14, 481/0.16, 482/0.29, 483/1/0.30, 485/0.35, 486/0.17, 488/0.30, 489/0.16 हैक्टेयर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम श्यामपुरा में हिस्सेदार काश्तकार निम्नानुसार है–		
क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर / रकबा
1	रामसिंह पुत्र भैरू हिस्सा 6/25 ,बोदूराम पुत्र भैरू हिस्सा 6/25, रामजीलाल पुत्र भैरू हिस्सा 6/25, गुरमा पत्नि जुगलकिशोर हिस्सा 6/25, रूडी देवी पुत्री भैरू हिस्सा	1073/0.18, 1077/0.48, 1081/0.1120, 1100/0.29, 1115/0.90, 1123/0.31, 1217/1/0.08, 1219/0.63 हैक्टेयर

	जितेन्द्र पुत्र चिंरजी लाल हिस्सा 1/120, कस्तूरी देवी पत्नि मदन हिस्सा 1/120, सुभाष पुत्र मदन हिस्सा 1/120, श्रीमती गीता देवी पत्नि स्व0 चिरंजीलाल हिस्सा 1/120, भगवती पुत्री भंवरा हिस्सा 1/60, गीता पुत्री भंवरा हिस्सा 1/60, नर्बदी पुत्र भंवरा हिस्सा 1/60, लिछमा पुत्री भंवरा हिस्सा 1/60, मिश्री पुत्री भंवरा हिस्सा 1/60, धर्मा पुत्री भंवरा हिस्सा 1/60 बिलारहन रामकरण पुत्र महादेव हिस्सा 1/6 राहिन एस.बी.आई शाखा शाहपुरा मूर्तहीन, प्रभाती पत्नि स्व0 हनुमान हिस्सा 1/30, बनवारी पुत्र हनुमान हिस्सा 1/30, सुरेश पुत्र हनुमान हिस्सा 1/30, मोहन पुत्र हनुमान हिस्सा 1/30, महेन्द पुत्र हनुमान हिस्सा 1/30 बिलारहन, ख्यालीराम पुत्र सीताराम हिस्सा 1/56 राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा मैड, नारूराम पुत्र छोटू हिस्सा 1/14 राहिन बी.ओ.बी शाखा विराटनगर, जगदीश प्रसाद पुत्र छोटू हिस्सा 1/14 राहिन एस0बी0आई शाखा शाहपुरा कैलाश पुत्र छोटू हिस्सा 1/14 राहिन आर.एम.जी.बी शाखा मैड, दूर्गा देवी पत्नि छोटू हिस्सा 1/14 रूकमा पत्नि स्व0 [illegible] हिस्सा 1/56, [illegible] पुत्र सीताराम हिस्सा 1/56, [illegible] पुत्र सीताराम हिस्सा 1/56, मामली देवी पत्नि [illegible] हरिनारायण हिस्सा 1/84, अरविंद पुत्र हरिनारायण हिस्सा 1/84, पवन पुत्र हरिनारायण हिस्सा 1/84, संजू पूत्री हरिनारायण हिस्सा 1/84, उषा पुत्री हरिनारायण हिस्सा 1/84, सीमा पुत्री	1078/0.33, 1079/0.10, 1080/0.10, 1082/0.09, 1083/0.13, 1084/0.22, 1098/0.3946, 1099/0.26, 1101/0.17, 1108/0.01, 1109/0.60, 1111/0.23, 1112/0.26, 1113/0.30, 1114/0.40, 1116/0.23, 1117/0.18, 1118/0.42, 1119/0.35, 1120/0.33, 1121/0.13, 1122/0.10, 1126/0.56 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

3	कैलाश पुत्र छोटू हिस्सा 1/2, राहिन आर.एम.जी.बी. शाखा मैड, ख्यालीराम पुत्र सीताराम हिस्सा 1/84 राहिन आर.एम.जी.बी शाखा मैड जगदीश प्रसाद पुत्र छोटू हिस्सा 1/2 राहिन एस0बी0आई0 शाखा शाहपुरा नारूराम पुत्र छोटू हिस्सा 1/2 राहिन बी.ओ.बी शाखा विराटनगर, रामकरण पुत्र महादेव हिस्सा 1/9 राहिन एस0बी0आई शाखा शाहपुरा अमरचंद पुत्र भंवरा हिस्सा 1/90, केशर सिंह पुत्र सीताराम हिस्सा 1/84, कस्तूरी देवी पत्नि स्व. मदन हिस्सा 1/180, गीता देवी पत्नि स्व. चिरंजीलाल हिस्सा 1/180, गीता देवी पुत्र भंवरा हिस्सा 1/90, जयराम पुत्र भंवरा हिस्सा 1/90, जितेन्द्र पुत्र चिरंजीलाल हिस्सा 1/180, दूर्गा पत्नि छोटू हिस्सा 1/2, धर्मा पुत्री भंवरा हिस्सा 1/90, नर्बदी पुत्री भंवरा हिस्सा 1/90, प्रभाती पत्नि स्व हनुमान हिस्सा 1/45, बनवारी पुत्र हनुमान हिस्सा 1/45, बोदूराम पुत्र भैरू हिस्सा 2/25, भगवती देवी पुत्र भंवरा हिस्सा 1/90, महेन्द्र पुत्र हनुमान हिस्सा 1/45, मिश्री पुत्री भंवरा हिस्सा 1/90, मोहन पुत्र हनुमान हिस्सा 1/45, रूकमा पत्नि स्व सी[illegible] हिस्सा 1/84, रामजीलाल पुत्र [illegible] हिस्सा 2/25, रामस्वरूप पुत्र [illegible] हिस्सा 1/2, रामसिंह पुत्र भेरू हि[illegible] 2/25, लिछमा पुत्र भंवरा हिस्सा 1/90, श्रवणलाल पुत्र सीताराम हिस्सा 1/84, रूडी देवी पुत्री भैरू हिस्सा 1/75, सुभाष पुत्र मदन हिस्सा 1/180, गरमा पत्नि स्व. जगलकिशोर	1081/1/0.0080, 1098/1/0.0154, 1110/0.0600 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Offi

	पुत्र हरिनारायण हिस्सा 1/126, पवन पुत्र हरिनारायण हिस्सा 1/126, संजू पुत्री हरिनारायण हिस्सा 1/126, उषा पुत्री हरिनारायण हिस्सा 1/126, सीमा पुत्री हरिनारायण हिस्सा 1/126 जाति मीणा सा. देह	
4	कैलाश पुत्र छोटू हिस्सा 1/7 राहिन आर.एम.जी.बी शाखा मैड , जगदीश प्रसाद पुत्र छोटू हिस्सा 1/7 राहिन स्टेट बैंक शाखा ऑफ इण्डिया शाखा शाहपुरा, नारूराम पुत्र छोटू हिस्सा 1/7 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा विराटनगर, केशर सिंह पुत्र सीताराम हिस्सा 1/28, ख्यालीराम पुत्र सीताराम हिस्सा 1/28, दुर्गा पत्नि स्व छोटू हिस्सा 1/7, रामस्वरूप पुत्र छोटू हिस्सा 1/7, रूकमा पत्नि स्व. सीताराम हिस्सा 1/28, श्रवणलाल पुत्र सीताराम हिस्सा 1/28, मामली देवी पत्नि स्व. हरिनारायण हिस्सा 1/42, अरविद पुत्र हरिनारायण हिस्सा 1/42, पवन पुत्र हरिनारायण हिस्सा 1/42, संजू पुत्री हरिनारायण हिस्सा 1/42, उषा पुत्री हरिनारायण हिस्सा 1/42, सीमा पुत्री हरिनारायण हिस्सा 1/42 जाति मीणा सा. देह	1217/0.73 हैक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम मैड में हिस्सेदार काश्तकार निम्नानुसार है–		
1	बोदूराम पुत्र भैरू हिस्सा 1/4, रामजीलाल पुत्र भैरू हिस्सा 1/4, रामसिंह पुत्र भैरू हिस्सा 1/4, गुरमा पत्नि स्व0 जुगलकिशोर हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा. देह	2779/0.13, 2780/0.02, 2789/0.12, 2790/0.39 हैक्टेयर
2	छोटू पुत्र लादू हिस्सा 1/2, भंवरा पुत्र	2778/0.15 हैक्टैयर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 25.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकरी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 25.09. 2019** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव ज
Web Copy - N

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:47:16 IST
Reason: SelfAttested